[2018] 9 एस. सी. आर 1083

राम चंद्र सिंह

बनाम

राजाराम एवं अन्य.

(सिविल अपील संख्या 8145 सन 2018)

14 अगस्त, 2018

[मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति. ए. एम. खानविलकर,]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988: घातक दुर्घटना-मुआवजे के लिए दावा-न्यायाधिकरण ने मुआवजे का आदेश दिया, लेकिन बीमाकर्ता को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था-मुआवजे की राशि का भुगतान करने की देयता वाहन के मालिक और चालक पर रखी गई थी-वाहन के मालिक द्वारा अपील-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-अपील में कहा गयाःबीमाकर्ता को केवल तभी दोषमुक्त किया जा सकता है जब उल्लंघन करने वाले वाहन का मालिक इस तथ्य से अवगत हो कि लाइसेंस नकली था और फिर भी चालक को वाहन चलाने की अनुमति दी गई थी-केवल यह तथ्य कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली है, बीमाकर्ता को दोषमुक्त नहीं करेगा-नीचे की अदालतों ने यह पता लगाने के लिए दलीलों और सबूतों का विश्लेषण करने का कोई प्रयास नहीं किया कि क्या मालिक को चालक के पास मौजूद नकली ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पता था-इसलिए, इस सवाल पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया कि क्या क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने का दायित्व मालिक या बीमाकर्ता का था।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया 1. यह सुस्थापित है कि यदि वाहनमालिक इस तथ्य से अवगत था कि लाइसेंस नकली था और फिर भी चालक को वाहन चलाने की अनुमति दी गई थी, तो बीमाकर्ता दोषमुक्त हो जाएगा।हालांकि, केवल यह तथ्य कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली है, बीमाकर्ता को दोषमुक्त नहीं करेगा।निर्विवाद रूप से, उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी के वकील ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली पाया गया था, लेकिन यह स्वीकृति बीमाकर्ता को दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।(पैरा11) (1088-E-F)

2. वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर अभिवचनों और साक्ष्य का विश्लेषण करने का कोई प्रयास नहीं किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अपीलार्थी (मालिक) को चालक (प्रतिवादी संख्या 6) के पास मौजूद नकली ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानकारी थी। न्यायाधिकरण ने केवल जांच और सत्यापन रिपोर्ट को स्वीकार किया और पाया कि कथित ड्राइविंग लाइसेंस अवैध था।उच्च न्यायालय ने भी इस प्रासंगिक पहलू की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार स्पष्ट किया गया है।क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के लिए केवल मालिक या बीमाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 7) के दायित्व के बिंदु पर अपीलार्थी (मालिक) द्वारा दायर अपील पर नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षों को भेज देना उचित होगा।[पैरा 9 और 13](1087-B; 1087-A)

पेप्सू सड़क परिवहन निगम बनाम नेशनल बीमा कंपनी (2013) 10 एससीसी 217:[2013] 9**एससीआर 266; प्रेमकुमारी एवं अन्य. प्रति प्रह्लाद देव और** अन्य. (2008) 3 एससीसी 193:[2008] 1 एस. सी. आर. 874-पर निर्भर किया

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लेहरू अन्य।**(2003) 3 एससीसी 338:[2003] 2 एससीआर 495; नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य। (2004) 3**एससीसी 297:[2004] 1 एस. सी. आर. 180; नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धूत (2007) 3 एस. सी. सी. 700:[2007] 3 एस. सी. आर. 579-संदर्भित।

<u>न्याय निर्णय संदर्भ</u>

[2013] 9 एससीआर 266 निर्भर पैरा 4

[2008] 1 एससीआर 874 निर्भर पैरा 4

[2003] 2 एससीआर 495 निर्भर पैरा 10

[2004] 1 एससीआर 180 निर्भर पैरा 10

[2007] 3 एससीआर 579 निर्भर पैरा 10

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8145 सं 2018

आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 3290 सन2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.11.2016 के विरुध्द

एस. आर. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, मंगल प्रसाद, सुश्री श्वेता यादव, कुलदिप यादव, आदर्श वर्मा, यश पाल ढींगरा, अभिषेक गोला, सुधीर नागर, अधिवक्ता,उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्याय. ए. एम. खानविलकर द्वारा दिया गया -

1.28 नवंबर, 2016 के फैसले और आदेश के खिलाफ इस अपील में शामिल एकमात्र सवाल जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 28.नवंबर, 2016 के, आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील सँ 3290 सन 2016 में पारित किया गया था, वह यह है कि क्या मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, फिरोजाबाद, यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि क्योंकि चालक के पास लाइसेंस नकली था अतः बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं था।

2. अनावश्यक विवरणों में जाये बिना, प्रत्यर्थी सँ 1 से 5 ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, फिरोजाबाद के समक्ष एक मोटर दुर्घटना दावा MACP सँ 169 सं 2013 दायर किया, जो कि, 10 मई, 2012 को सुबह 6:30 बजे, मुस्तफाबाद चौराहे की ओर, सुबह की सैर के लिए जाते समय हुई मोटर दुर्घटना के कारण मनोज कुमार की मृत्यु के परिणाम स्वरूप था।।उस समय, पंजीकरण सँ UP71/0084 वाले बोलेरो लोडर ननके वाहन को तेज गति से चलाते हुए, तेजी व लापरवाही से , मृतक को पीछे से टक्कर मार दी।न्यायाधिकरण ने दावा याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और रुपये 6,27,000/- की क्षतिपूर्ति राशि का आदेश दिया, लेकिन ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में, "बीमाकर्ता") को इस निष्कर्ष पर उत्तारदायित्व मुक्त कर दिया कि दुर्घटना करने वाला वाहन, शिवज्ञानी (प्रतिवादी संख्या 6) द्वारा चलाया गया था, जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।हालाँकि, न्यायाधिकरण ने बीमाकर्ता को 24 अगस्त, 2016 के निर्णय के संदर्भ में निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें वाहन के मालिक (इसमें अपीलकर्ता) और चालक (प्रतिवादी संख्या 6) से संयुक्त रूप से, और अलग-अलग रूप से, इसकी वसूली करने की स्वतंत्रता थी।

3. अपीलार्थी , वाहन का मालिक होने के नाते, अकेले ही, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की, जिसे इस निष्कर्ष पर खारिज कर

दिया गया कि अपीलार्थी के वकील ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली पाया गया था और यह दिखाने के लिए कि ड्राइविंग लाइसेंस असली था, अदालत के समक्ष कोई सबूत पेश नहीं किया गया था।यह समवर्ती दृष्टिकोण वर्तमान अपील में चुनौती का विषय है।

4. अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भले ही न्यायाधिकरण का निष्कर्ष, कि वाहन के मालिक और चालक द्वारा जिस ड्राइविंग लाइसेंस पर भरोसा किया गया वह ड्राइविंग लाइसेंस नकली था, बरकरार रखा जाता है, फिर भी न्यायाधिकरण, बीमाकर्ता को, इस स्पष्ट निष्कर्ष के अभाव में दोषमुक्त नहीं कर सकता और वाहन के मालिक को उत्तरदायी नहीं बना सकता था, कि वाहन का मालिक नकली लाइसेंस के तथ्य के बारे में जानता था और इसके बावजूद, उसके सुधारात्मक उपाय करने का कोई प्रयास नहीं किया, जिसमें इसकी वास्तविकता को सत्यापित करना भी शामिल था।इस तरह के निष्कर्ष के अभाव में, बीमाकर्ता सीधे उत्तारदायित्व मुक्त नहीं किया सकता ।**इस तर्क के समर्थन में, पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन प्रति नेशनल इन्शुरन्स कम्पनी एवं प्रेमकुमारी एवं अन्य प्रति प्रहलाद देव एवं पर निर्भर किया गया।**

5. बीमाकर्ता के वकील ने तर्क किया कि अपीलार्थी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली था और अन्यथा साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत पेश करने में विफल रहने पर, न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट, इस निष्कर्ष एवं बीमाकर्ता को मुआवजे की राशि के भुगतान के दायित्व से मुक्ति के बारे में, कोई शिकायत नहीँ सुनी जा सकती।

6. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री एस. आर. सिंह और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक गोला को सुना ।

7. हमने पूरे अभिवचनों और अभिलेख पर साक्ष्य के साथ-साथ न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के निर्णयों का भी अध्ययन किया ।यह देखा गया कि बीमाकर्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष दायर लिखित बयान में एक विशिष्ट कथन किया था कि चालक का ड्राइविंग लाइसेंस वैध लाइसेंस नहीं था।वैकल्पिक रूप से, यह कहा गया था कि वाहन के मालिक को ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा ताकि इसे लाइसेंस प्राधिकरण से सत्यापित किया जा सके।इसके अतिरिक्त, बीमाकर्ता ने इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए, एक जांच रिपोर्ट, सत्यापन रिपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी प्रस्तुत की, कि मालिक और चालक द्वारा जिस ड्राइविंग लाइसेंस पर भरोसा किया गया वह ड्राइविंग लाइसेंस नकली था और वैध नहीं था।क्योंकि, यह प्रमाणित किया गया था कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा ऐसा कोई ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया गया था।

8. यह भी देखा गया कि मौखिक साक्ष्य में, अपीलार्थी ने कहा था कि उसने वाहन चलाने के लिए चालक के रूप में नियुक्त करने से पहले शिवज्ञानी के ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी देखी थी और उसके ड्राइविंग कौशल के बारे में भी संतुष्ट था।बीमाकर्ता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में, अपीलार्थी ने इस प्रकार कहाः

". मैंने गाड़ी नहीं बेची है।ड्राइवर शिव ज्ञानी फरवरी 2012 से मेरे साथ काम कर रहे थे।वे फतेहपुर जिले के स्थायी निवासी थे।मैंने शिव ज्ञानी के ड्राइविंग लाइसेंस को कभी सत्यापित नहीं किया।यह मेरी जानकारी में नहीं था कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।यह कहना गलत है कि मैंने उसे यह जानने के बावजूद कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस नक़ली है,गाड़ी चलाने के लिए अपना वाहन दिया था।।मुझे यह पता है कि लाइसेंस उस पते पर जारी किया जाता है जहाँ व्यक्तिरहता है।. यह कहना गलत है कि मैं अपने आप को को बचाने के लिए गलत सबूत दे रहा हूं।"

9. हालाँकि,न्यायाधिकरण ने वादबिन्दु संख्या 3 का जवाब देते हुए, यह पता लगाने के लिए, अभिलेख पर अभिवचनों और साक्ष्य का विश्लेषण करने का कोई प्रयास नहीं किया कि क्या अपीलार्थी (मालिक) को, चालक (प्रतिवादी संख्या 6) के पास ड्राइविंग लाइसेंस के नकली होने के बारे में पता था।न्यायाधिकरण ने केवल जांच और सत्यापन रिपोर्ट को स्वीकार किया और पाया कि कथित ड्राइविंग लाइसेंस अमान्य था।उच्च न्यायालय ने भी इस प्रासंगिक पहलू की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा लगातार स्पष्ट किया गया है तथा पी. ई. पी. एस. यू. सड़क परिवहन निगम (उपरोक्त) में इसन्यायालय और पुनः कथन किया गया है।

प्रेमकुमारी (उपरोक्त) के मामले में भी, न्यायालय ने न्यायिक उदाहरणों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित मत व्यक्त किया:

पीठ ने कहा, "उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि जब मालिक ने सत्यापन के बाद खुद को संतुष्ट किया कि चालक के पास एक वैध लाइसेंस है और वह दुर्घटना के समय वाहन को कुशल रूप से चला रहा था तो धारा 149 (2) (ए) (ii) का कोई उल्लंघन नहीं होगा, उस स्थिति में बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा।यह भी स्पष्ट है कि उस मामले में भी जब कि लाइसेंस नकली था, बीमा कंपनी तब तक उत्तरदायी बनी रहेगी जब तक कि वे यह साबित नहीं करते कि मालिक को पता था या उसने देखा कि लाइसेंस नकली था और फिर भी उसे गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई थी।"

10. पेप्सू सड़क परिवहन निगम (उपरोक्त) में निर्णय पर उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया था, जिसने, हालांकि, यह देखते हुए इसमें अंतर किया कि यह उस मामले के तथ्यों पर था, जहां न्यायालय ने राय दी कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस नकली था।हमारी राय में यह दृष्टिकोण स्पष्ट

रूप से गलत है।जबकि, उस मामले में भी, न्यायालय को उसी प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया था जो इस अपील में शामिल है।उस मामले में, न्यायालय ने पहले यूनाइटेड **इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लेहरू और अन्य के निर्णय का उल्लेख किया, और फिर नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का उल्लेख किया**। स्वर्ण सिंह (ऊपर) वाले निर्णय के अनुच्छेद 99-101 लिए गए हैं, जो इस प्रकार हैंः

"99. जहाँ तक कमला और लेहरू के निर्णयों में कथित विरोध का प्रश्न है, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बीमा कंपनियों के लिए यह बचाव उपलब्ध होगा कि वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नकली था, लेकिन इसके बावजूद, मालिक की ओर से चूक सिद्ध होती है या नही, यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसे प्रत्येक मामले में निर्धारित किया जाना होगा।

100. हालाँकि, लेहरू के मामले में इस न्यायालय का तात्पर्य यह नहीं लिया जाना चाहिए कि वाहन के मालिक का किसी भी परिस्थिति में इस संबंध में जांच करने का कोई कर्तव्य नहीं हो सकता ।हालाँकि, यह फिर से एक ऐसा प्रश्न होगा जो प्रत्येक मामले में विचार के लिए उत्पन्न होगा।

101. श्री साल्वे का यह कथन कि लेहरू मामले में, इस न्यायालय ने, सभी उद्देश्यों के लिए, बीमाकर्ता का यह बचाव करने का अधिकार छीन लिया है कि लाइसेंस नकली है, सही प्रतीत नहीं होता है।इस तरह का बचाव निश्चित रूप से किया जा सकता है लेकिन यह बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति ने चालक द्वारा रखे गए लाइसेंस की वास्तविकता या अन्यथा को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती।"

इसके बाद न्यायालय अपने समक्ष मामले के तथ्यों की विवेचना से पूर्व दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले, नेशनल इन्शुरन्स कंपनी लि. प्रति लक्ष्मी नारायण धूत, की ओर ध्यान देता रहा।

11. यह कहना पर्याप्त है कि यह सुस्थापित है कि यदि मालिक को इस तथ्य के बारे में पता था कि लाइसेंस नकली था और फिर भी चालक को वाहन चलाने की अनुमति दी गई थी, तो बीमाकर्ता उत्तारदायित्व से मुक्त हो जाएगा।हालांकि, केवल यह तथ्य कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली है, बीमाकर्ता को दोषमुक्त नहीं करेगा।निर्विवाद रूप से, उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी के वकील ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली पाया गया था, लेकिन यह तथ्य बीमाकर्ता को दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

12. जैसा कि पूर्व में कहा गया है, वर्तमान मामले में न तो न्यायाधिकरण और न ही उच्च न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिंदु पर पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों और साक्ष्यों का विश्लेषण करने का कष्ट किया है। जो भी हो, इस अपील में वाहन के अपीलकर्ता-मालिक की सीमित पीड़ा केवल इस निष्कर्ष के विषय में है कि बीमाकर्ता को अन्यायपूर्ण रूप से, केवल इस आधार पर उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाने के बारे में है, कि चालक (प्रतिवादी संख्या 6) का ड्राइविंग लाइसेंस नकली था।अपीलार्थी द्वारा कोई अन्य बिंदु नहीं उठाया गया है और न ही हम इसका विश्लेषण या विचार करने का इरादा रखते हैं।

13. इसलिए, हम यह उचित समझते हैं कि केवल क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के लिए मालिक या बीमाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 7) के दायित्व के सवाल पर अपीलार्थी (मालिक) द्वारा दायर अपील पर नए सिरे से विचार करने के लिए पक्षकारों को उच्च न्यायालय के समक्ष भेज दिया जाय ।

14. हम यह स्पष्ट करते हैं कि उच्च न्यायालय रिमांड कार्यवाही में किसी अन्य बिंदु की जांच नहीं करेगा। चूंकि न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित और निर्देशित मुआवजे की राशि दावेदारों को पहले ही भुगतान कर दी गई है।

15. तदनुसार, हम, आदेश से प्रथम अपील सँ 3290 सन 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं और अपील को, केवल इस सीमितबिंदु पर पुनः निर्णय हेतु, उच्च न्यायालय की पत्रावली पर पुनर्स्थापित करते हैं कि मुआवजे की धनराशि के भुगतान का उत्तरदायित्व अपीलार्थी(वाहन स्वामी) का है अथवा प्रत्यर्थी सँ7(बीमाकर्ता) का।इस बिंदु का निर्णय विधि के अनुसार, इसके अपने गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हमने इस निर्णय में या अभिलेख पर किसी अन्य साक्ष्य में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और साक्ष्य की प्रभावकारिता पर किसी के भी पक्ष में किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त की है।उस संबंध में सभी प्रश्नों को खुला छोड़ दिया जाता है।

16. अपील की उपरोक्त शर्तों के आधीन स्वीकार किया जाता है। वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अपील स्वीकार

कल्पना के. त्रिपाठी

1 (2013) 10 एससीसी 217

2 (2008)

3एससीसी 193 ए